"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 69] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 फरवरी 2006 --- फाल्गुन 2, शक 1927

वित्त एवं योजना विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2006

अधिसूचना

क्रमांक 86/एल-8/4/04/ब-4/4. — छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध नियमावली, 2006 है.

(2) ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होगा.

2. **परिभाषाएं** इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) अधिनियम से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2005 (कमांक 16 सन् 2005);

(ख) प्ररूप से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ग) 'जीएसडीपी' से अभिप्रेत है अधिनियम में यथापरिभाषित वर्तमान बाजार मूल्य पर छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद;

(घ) "स्वयं का राजस्व" से अभिप्रेत है, राज्य के स्वयं के कर तथा करेत्तर राजस्व जैसा कि महालेखाकार द्वारा समुचित रूप से अंकेक्षित वित्त लेखे दर्शाया गया है ।

(ड.) "जोखिम भारित आधार" से अभिप्रेत है जोखिम भारित आधार पर जारी गांरटी के मूल्य का निर्धारण ऐसी गांरटी प्रदान करने के लिये मंगाया जाने की संभावना समाधान कारक समनुदेशित किया गया है ।

(च) धारा का अभिप्राय इस अधिनियम की धारा से है,

(छ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य:

(ज) इसमें प्रयुक्त शब्द और वाक्यांश जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया है उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिये दिया गया है ।

3. **वृहद आर्थिक ढांचा संबंधी विवरण, मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण और राजकोषीय नीति संबंधी कार्य नीति संबंधी विवरण** : (1) वृहद आर्थिक ढांचा संबंधी विवरण, जैसा कि अधिनियम की धारा-4(1) (क) के तहत राज्य सरकार के द्वारा राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा, प्ररूप-एफ-1 के अनुसार होगा ।

(2) मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण, जैसा कि अधिनियम की धारा-4(3)में विनिर्दिष्ट अंतर्विष्ट सहित धारा-4 (1) (ख) के तहत राज्य सरकार के द्वारा राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा, प्ररूप-एफ-2 के अनुसार होगा ।

(3) राजकोषीय नीति संबंधी कार्य नीति विवरण, जैसा कि अधिनियम की धारा 4(4) में विनिर्दिष्ट अंतर्विष्ट सहित धारा-4 (1) ग के तहत राज्य सरकार के द्वारा राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा, प्ररूप-एफ-3 के अनुसार होगा ।

4. **प्रकटीकरण** (1) राज्य सरकार को वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांग प्रस्तुतीकरण के समय निम्नलिखित विवरणों अधिनियम की धारा-5 के अधीन यथा अपेक्षित प्रकटीकरण देने होंगे:

(क) प्ररूप डी-1 में राजकोषीय स्थिति के चयनित संकेतकों का विवरण;
(ख) प्ररूप डी-2 में राज्य सरकार की कुल देयताएं ;
(ग) प्ररूप डी-3 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित परिशोधन निधि का संचित विवरण,
(घ) प्ररूप डी-4 में राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विवरण;
(ड) प्ररूप डी-5 में बकाया जोखिम भारित गारंटियों का विवरण;
(च) प्ररूप डी-6 में गारंटी मोचन निधि का विवरण;
(छ) प्ररूप डी-7 में आस्तियों का विवरण;
(ज) प्ररूप डी-8 में वृद्धित परन्तु वसूल न की गयी राजस्व प्राप्तियां का विवरण;
(झ) प्ररूप डी-9 में प्रमुख निर्माण कार्यो और संविदाओं के संबंध में देयताओं सहित भूमि अधिग्रहण प्रभारों के संबंध में शोध्य देयताएं और अदा न किये गये बिलों और आपूर्ति के दावे ।
(ड.) प्ररूप डी-10 में विहित राजकोषीय संकेतकों की संगणना को प्रभावित कर रहे या प्रभावित करने वाले लेखा मानकों, नीतियों और व्यवहारों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन;
(ट) प्ररूप डी-11 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिये गये अर्थोपाय अग्रिम /ओव्हर ड्राफ्ट का विवरण;
(ठ) प्ररूप डी-12 में शासन, सार्वजनिक उपक्रम तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या तथा संबंधित वेतन का विवरण।

(2.) उप नियम (1) से भिन्न (ड.), (ज), (छ) तथा (झ) के अलावा शेष सभी प्रावधनों का संकलन वित्तीय वर्ष 2006-07 के वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदानों की मांगों के साथ प्रस्तुत करते समय किया जावेगा । उपनियम (1) के (ड.), (ज), (छ) तथा (झ) के प्रावधानों के अनुसार संकलन वर्ष 2007-08 के बजट के समय प्रस्तुत किया जावेगा।

5. **अनुपालन लागू करने संबंधी उपाय** :- धारा-6 की उपधारा (1) के अनुसार किये गये आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की त्रैमासिक समीक्षा के परिणाम के रूप में यदि वर्ष 2006-07 से प्रांरभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही के अंत तक यह निष्कर्ष निकलता है कि-

(एक) कुल ऋणेतर प्राप्तियां उस वर्ष के बजट अनुमानों से 40 प्रतिशत से कम हैं,

अथवा

(दो) उस वर्ष के लिये राजकोषीय घाटा बजट अनुमान के 45 प्रतिशत से अधिक है,

अथवा

(तीन) उस वर्ष के राजस्व घाटा बजट अनुमानों को 45 प्रतिशत से अधिक है तो –

(क) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित राज्य सरकार को उपयुक्त उपाय करने होंगे और

(ख) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 3 (दो) के अधीन यथा अपेक्षित वित्त मंत्री दूसरी तिमाही की समाप्ति के तुरन्त बाद के राज्य विधान मंडल के सत्र में, सुधारात्मक उपाय का विवरण देते हुए उस रीति में जो किसी अनुदान हेतु अनुपूरक मांग को वित्त पोषित किये जाने के लिये प्रस्तावित है और उस वित्तीय वर्ष के राजकोषीय घाट के लिये संभावित है, वक्तव्य प्रस्तुत करेगें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रेणु जी. पिल्ले, विशेष सचिव.

प्ररूप एफ-1

(नियम 3 (1) देखिये)

वृहद आर्थिक ढांचा संबंधी विवरण

1. **राज्य अर्थव्यवस्था का विहंगावलोकन** : (इस पैराग्राफ में उत्पाद की वृद्धि दर की प्रवृत्ति का संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा । प्रमुख वृहद आर्थिक संकेतकों को इस प्ररूप के अंत को सारणियों में प्रस्तुत किया जाएगा।)

2. **राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर** : (इस पैराग्राफ में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरों की प्रवृत्ति के विश्लेषण और उनके विन्यास को शामिल किया जाएगा।)

3. **राज्य सरकार के वित्त का विहंगावलोकन** : (इस पैराग्राफ में कर-संग्रहण/राजस्व वसूलीगत प्रवृत्ति का विश्लेषण सहित राज्य वित्तगत विकास और महत्वपूर्ण राजकोषीय घाटा ऋण संकेतक एवं राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिये किए गये उपाय का ब्यौरा होगा । राज्य-सरकार के वित्त की प्रवृतियां संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जाएंगे । इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, संचित शोधन निधि, गारंटी मोचन निधि और जोखिम भारित गारंटियों का निर्गमन तथा भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये अर्थोपाय अग्रिमों संबंधी गतिविधियों को दर्शाया जाएगा । इस पैराग्राफ में स्थानीय निकायों तथा राज्य स्तरीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वित्त का विश्लेषण तथा उनके द्वारा खातों और केन्द्रीय अंतरणों का वार्षिक विवरणों के समेकन/तैयार करने में की गयी प्रगति को भी शामिल किया जाएगा ।)

4. **संभावनाएं** : (यह पिछले खण्डों में प्रस्तुत प्रमुख क्षेत्रों की प्रवृतियों के आधार पर निहित पूर्वानुमानों के साथ-साथ वृद्धि की संभावनाओं के मामले का निर्धारण करेगा । राजकोषीय संभावनाओं का निर्धारण भी किया जाएगा)

प्ररूप एफ-1 (निरंतर)

(नियम 3 (1))

वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण

आर्थिक कार्य निष्पादन : एक दृष्टि

सारणी 1: चुनिंदा व्यापक आर्थिक और राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्ति

	निरपेक्ष मूल्य (करोड़ रूपये)		प्रतिशत परिवर्तन	
	अप्रैल - रिपोर्टिंग अवधि		अप्रैल - रिपोर्टिंग अवधि	
	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष
वास्तविक क्षेत्र				
1.उत्पादन लागत पर सकल घरेलू(हजार करोड़ रूपये)				
(क) वर्तमान मूल्य पर				
(ख) 1993-94 के मूल्य पर				
2. कृषि उत्पादन				
3. उत्पादन के सूचकांक				
4. तृतीयक क्षेत्र उत्पादन				
सरकार की वित्तीय स्थिति				
1 राजस्व प्राप्तियां (2+3)				
2 कर राजस्व (2.1+2.2)				
2.1 निजी कर राजस्व				
2.2 केन्द्रीय करों में राज्यों का अंश				
3 करेतर राजस्व (3.1+3.2)				
3.1 राज्यों के करेतर राजस्व				
3.2 केन्द्र के अंतरण				
4 पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)				
5 ऋणों की वसूली				
6 अन्य प्राप्तियां				
7 उधार और अन्य देनदारियां				
8 कुल प्राप्तियां (1+4)				
9 योजनेत्तर व्यय				
10 राजस्व लेखा				

जिसमें से :				
11 (क) ब्याज भुगतान				
(ख) अनुषंगी				
(ग) मजदूरी और वेतन				
(घ) पेंशन भुगतान				
12 पूंजी खाता				
13 योजना व्यय				
14 राजस्व खाता				
15 पूंजीगत खाता				
16 कुल व्यय (9+13)				
17 राजस्व व्यय (10+14)				
18 पूंजीगत व्यय (12+15)				
19 राजस्व घाटा (17+1)				
20 राजकोषीय घाटा(16-(1+5+6)			[illegible]	
21 प्रारंभिक घाटा (20+11 क)				
ज्ञापन:				

* दिनांक उसी अवधि से संबंधित है जिसकी चालू वर्ष के लिये सूचना उपलब्ध है । तुलना को सुविधाजनक बनाने के लिये पिछले वर्ष की तारीख को चालू वर्ष की उसी अवधि के लिये लिया गया है । तदनुसार अलग-अलग मदों के लिए रिपोर्टिंग अवधि अलग हो सकती है ।

प्ररूप एफ-2
(नियम 3 (2) देखिये)
मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण

क. राजकोषीय संकेतक-चालू लक्ष्य

	पिछला वर्ष (वर्ष-2) वास्तविक	चालू वर्ष (वर्ष-1) बजट अनुमान (ब.अ.)	चालू वर्ष (वर्ष-1) संशोधित अनुमान (सं.अ.)	आगामी वर्ष (वर्ष) बजट अनुमान (ब.अ.)	अगले दो वर्षो के लिए लक्ष्य वर्ष+1	वर्ष+2
1.कुल राजस्व प्राप्तियों (टीआरआर) के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा 2. राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद(जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा 3. राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के रूप में कुल बकाया देयताएं						
4. अन्य लक्ष्य: (1). ब्याज भुगतान राज्य के स्वयं के राजस्व के प्रतिशत के रूप में (2). प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में (3). ब्याज भुगतान तथा पेंशन कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में						

ख. राजकोषीय संकेतकों में निहित पूर्वानुमान

1. राजस्व प्राप्तिया

(क) कर-राजस्व क्षेत्रवार और राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि दरें

(ख) करेत्तर राजस्व -नीतिगत बल

(ग) स्थानीय निकायों को अंतरण
(घ) कुल कर राजस्व के प्रति अपने कर राजस्व का अंश
(ड) कुल करेतर राजस्व के प्रति अपने करेतर राजस्व का अंश

2. पूंजीगत प्राप्तियां- ऋण स्टॉक,चुकौती,नये ऋण और नीतिगत बल

(क) केन्द्र से ऋण और अग्रिम
(ख) राष्ट्रीय अल्प बचत कोष (एनएसएसएफ) को जारी विशेष प्रतिभूतियां
(ग) ऋण तथा अग्रिम की वसूली
(घ) वित्तीय संस्थाओं से उधार
(ड.) अन्य प्राप्तियां (शुद्ध)- अल्प बचत, सामान्य भविष्य निधि आदि
(च) अदेय देयतायें - आंतरिक ऋण तथा अन्य दायित्व

3. कुल व्यय नीतिगत बल
(क) राजस्व खाता
(1) ब्याज भुगतान- (क) वर्ष के दौरान उधारियों पर (कुल और श्रेणीवार),
(ख) बकाया देयताओं पर- (कुल और श्रेणीवार)
(2) प्रमुख आर्थिक सहायता
(3) वेतन
(4) पेंशन
(5) अन्य
(ख) पूंजीगत खाता
(1) ऋण और अग्रिम
(2) पूजीगत परिव्यय

4. सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में वृद्धि

ग. निम्नलिखित संबंधित संवहनीयता का आंकलन

(1) _सामान्यत: प्राप्तियों और व्ययों तथा खासतौर से राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन_ - मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण में चालू वर्ष और तत्पश्चात से वर्षो में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपेक्षित परिवर्तनो के निर्धारण सहित कर - राज्य के सकल घरेलू उत्पात अनुपात, राज्य के अपने कर - राज्य के सकल घरेलू उत्पाद अनुपात तथा केन्द्रीय कर में राज्यों के अंश - राज्य के सकल घरेलू उत्पाद अनुपात निर्दिष्ट कर सकते हैं, इसमें करेतर राजस्वों तथा तत्संबंधी नीतियों पर विचार किया जा सकता है । कुल उद्देश्यों को पूरा करने के लिये प्रस्तावित उपायों पर खासतौर से बल देते हुए योजना और आयोजनेत्तर दोनों राजस्व खाते संबंधी व्यय पर भी चर्चा की जा सकती है । इसमें वेतन, पेंशन, आर्थिक सहातया और ब्याज-

अदायगी संबंधी व्यय शामिल करने की नीतियों पर विचार किया जा सकता है । पूंजीगत प्राप्तियों और बनाई गई नीति के अनुसार उधारियों एवं अन्य देयताओं का मूल्यांकन किया जायेगा । विवरण में सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान भी दिये जायेंगे और इस पर उद्देश्यों की संवहनीयता को पूरा करने में निहित संकेत के पूर्वानुमान के आधार पर चर्चा की जायेगी ।

(2) ***उत्पादक आस्तियों के निर्माण के लिये बाजार उधारियों सहित पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग –*** मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण में विभिन्न श्रेणियों में उत्पादन आस्तियों के निर्माण के लिये पूंजीगत प्राप्तियों के प्रस्तावित उपयोग को निर्दिष्ट करेगा । इन श्रेणियों के बीच प्रस्तावित परिवर्तनों का भी उल्लेख किया जायेगा तथा सरकार की समग्र नीति के अनुरूप इस पर विचार किया जायेगा ।

(3) ***आगामी दस वर्षों के लिये बीमांकिक आधार पर आंकी गयी अनुमानित वार्षिक पेंशन देयतायें*** – यदि अधिनियम लागू करने के बाद प्रथम तीन वर्षों की अवधि में बीमांकित आधार पर पेंशन देयताओं की गणना करना संभव ना हो तो राज्य सरकार इस अवधि के दौरान इसकी वृद्धि दर की प्रवृति के आधार पर अर्थात उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान वास्तविक पेंशन अदायगियों की वृद्धि की औसत दर पर अनुमान लगा सकेगा ।

प्ररूप एफ - 3

[नियम 3 (3)देखें]

राजकोषीय नीति कार्य-योजना विवरण

क. राजकोषीय नीति का विहंगावलोकन : (इस पैराग्राफ मे फिलहाल प्रचलित राजकोषीय नीति का विहंगावलोकन प्रस्तुत किया जाएगा।)

ख. आगामी वर्ष के लिए राजकोषीय नीति : (इस पैराग्राफ में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित से संबंधित छह उप पैराग्राफ होंगे।)

(1) <u>कर नीति</u>

कर नीति संबंधी उप पैराग्राफ में आगामी वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों मे किये जाने वाले प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तनों को प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें विभिन्न करों में छूट का निर्धारण और यह कर-छूट संबंधी सिद्धांतो से किस प्रकार संबंधित है, का उल्लेख किया जाएगा।

(2) <u>व्यय नीति</u>

व्यय नीति के अधीन, व्यय के लिये आबंटन में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तन को दर्शाना होगा । इसमें हिताधिकारियों के लाभ और लक्ष्य समूह के सँबंध में सिद्वांतों का निर्धारण भी निहित होगा ।

(3) <u>उधारियां और अन्य देयताएं, उधार देना और निवेश</u>

उधारियों से संबंधित इस उप पैराग्राफ में भा.रि.बैंक से अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट सुविधा लेने के साथ-साथ आंतरिक ऋण से संबंधित नीति, सरकारी ऋण, निवेश और अन्य गतिविधियां, साथ ही औसत परिपक्वता संरचना, पुनर्भुगतान आदि का शोधन दर्शाया जाएगा । सरकारी क्षेत्र के उपकमों द्वारा उधारियां और विशेष प्रयोजन के मान, उधार देने, निवेश, सरकारी मालों पर उपभोक्ता प्रभारों का निर्धारण और अन्य कियाकलापों की उपयोगिता और विनिधान तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों की ऐसी गतिविधियां, जिनका सक्षम बजटीय निहितार्थ हो और जिनके पास प्रमुख राजकोषीय उपाय हो तथा इनमें से प्रत्येक से संबंधित लक्ष्य दर्शाना होगा ।

(4) <u>संचित शोधन निधि</u>

इस उप पैराग्राफ में संचित शोधन निधि से संबंधित नीति निर्दिष्ट की जाएगी ।

(5) <u>आकस्मिक व्यय और अन्य देनदारियां</u>

आकस्मिक व्यय और अन्य दनदारियां संबंधी नीति में कोई भी परिवर्तन, खासतौर से गारंटी

जिनके सक्षम बजटीय निहितार्थ हो,को दर्शाना होगा । विशेष प्रयोजन लिखित तथा अन्य समकक्ष लिखतों द्वारा उधारियों से संबंधित नीति में किसी भी परिवर्तन का, जहां चुकौती संबंधी देनदारियां राज्य सरकार द्वारा की जानी है, को दर्शाना होगा । गारंटी मोचन निधि जुटाने और जारी गारंटियों के लिए कमीशन प्रभार/संग्रहित प्रभार को भी निर्दिष्ट किया जाएगा।

(6) <u>उपभोक्ता प्रभारों का उद्ग्रहण</u>

सार्वजनिक सेवाओं के उपभोक्ता प्रभारों के उद्ग्रहण में प्रस्तावित प्रत्येक परिवर्तन का उल्लेख किया जायेगा ।

(ग) आगामी वर्ष के लिए कार्ययोजनागत प्राथमिकताएं

((1) कर, करेतर और अन्य प्राप्तियाँ के माध्यम से आगामी वित्त वर्ष के लिए संसाधन संग्रहण का उल्लेख करना होगा ।

(2) आगामी वर्ष में व्यय प्रबंधन निहित व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख करना होगा ।

(3) आगामी वर्ष में प्रस्तावित लोक ऋण प्रबंधन से संबंधित प्राथमिकताओं को दर्शाया जाएगा।)

(घ) नीतिगत परिवर्तनों के लिए औचित्य

((1) आगामी बजट में प्रस्तावित करों के संबंध में, मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण में निहित नीतिगत परिवर्तनों के औचित्य का उल्लेख किया जाएगा।
(2) आर्थिक सहायता और पेंशन संबंधी व्यय सहित अनुमानित व्यय के संबंध में प्रमुख नीतिगत परिवर्तनों के औचित्य को दर्शाया जाएगा ।
(3) लोक ऋण के प्रबंधन में प्रस्तावित, यदि किसी परिवर्तन का औचित्य है तो उसे दर्शाया जाएगा ।
(4) सार्वजनिक उपयोगिता के लिये परिवर्तनों के संबंध में प्रस्तावित किसी परिवर्तन की आवश्यकता का उल्लेख किया जाएगा।)

(ड.) <u>नीतिगत मूल्यांकन</u>

(इस पैराग्राफ में मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण राजकोषीय घाटा कम करने और निर्दिष्ट उद्देश्यों के संबंध में आगामी वर्ष के लिए राजकोषीय नीति में प्रस्तावित परिवर्तनों का मूल्यांकन किया जाएगा ।)

प्ररूप डी-1

(देखें नियम-5)

चुनिंदा राजकोषीय संकेतक

	मद	पिछला वर्ष (वास्तविक)	चालू वर्ष (संशोधित अनुमान)
1	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा		
2	सकल राजकोषीय घाटा के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा		
3	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा		
4	टीआरआर के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा		
5	कुल देयताएं- जीएसडीपी अनुपात (%)		
6	कुल देयताएं- कुल राजस्व प्राप्तियां (%)		
7	कुल देयताएं- राज्य की अपनी राजस्व प्रातिप्यां (%)		
8	राजस्व व्यय के प्रति राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियां (%)		
9	सकल राजकोषीय घाटा के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत परिव्यय		
10	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान		
11	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में वेतन व्यय		
12	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में पेंशन व्यय		
13	कुल संवितरण के प्रतिशत के रूप में विकासेतर व्यय		
14	कुल संवितरण के प्रतिशत के रूप में केन्द्र से सकल अंतरण		
15	टीआरआर के प्रतिशत के रूप में करेतर राजस्व		

प्ररूप डी-2

(देखें नियम-5)

क. राज्य सरकार देयताओं के घटक (राशि करोड़ में)

श्रेणी	राजकोषीय वर्ष के दौरान जुटायी गयी		चालू राजकोषीय वर्ष के दौरान चुकौती/शोधन		बकाया राशि (मार्च के अंत में)	
	पिछला वर्ष (वास्तविक)	चालू वर्ष (सं.अ.)	पिछला वर्ष (वास्तविक)	चालू वर्ष (सं.अ.)	पिछला वर्ष (वास्तविक)	चालू वर्ष (सं.अ.)
बाजार उधार						
केंद्र से ऋण						
एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां						
वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार						
भा.रि.बैं. से डब्ल्यूएमए/ओडी						
अल्प बचत, सामान्य भविष्य निधि आदि						
आरक्षित निधियां/जमा						
अन्य देयताएं						
क. कुल संचित निधि देयताएं						
अल्प बचत, सामान्य भविष्य निधि आदि						
आरक्षित निधियां/जमा						
लोक लेखे के अन्य दायित्व						
ख. कुल लोक लेखा देयतायें						
ग. सार्वजनिक उपक्रम तथा एस.पी.						

व्ही. हेतु ऋण जिनके लिये राज्य बजट से ब्याज तथा मूलधन का भुगतान किया जाता है						
कुल देयतायें						

ख. राज्य सरकार की देयताओं में भारित औसत ब्याज दरें

प्रतिशत श्रेणी	राजकोपीय वर्ष के दौरान जुटायी गयी		बकाया राशि (मार्च-अंत की स्थिति में)	
	पिछला वर्ष (वास्तविक)	चालू वर्ष (सं.अ.)	पिछला वर्ष (वास्तविक)	चालू वर्ष (सं.अ.)
बाजार उधार (एस.एल.आर.)				
बाजार उधार(नॉन एस.एल.आर.)				
केन्द्र से ऋण				
एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां				
वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार				
भारिबैं से डब्ल्यूएमए/ओडी				
अल्प बचत,भविष्य निधि आदि				
रिजर्व निधि/जमाराशि				
अन्य देयताएं				
क. कुल संचित निधि देयताएं				
अल्प बचत, सामान्य भविष्य निधि आदि				
आरक्षित निधियां/जमा				
लोक लेखे के अन्य दायित्व				
ख. कुल लोक लेखा देयतायें				
ग. सार्वजनिक उपक्रम तथा एस. पी.व्ही. हेतु ऋण जिनके लिये राज्य बजट से ब्याज तथा मूलधन का भुगतान किया जाता है				
कुल देयतायें				

^ भारित औसत ब्याज दर जहां उधार ली गयी राशि संबंधित भार है । इसका परिकलन संविदागत आधार पर किया जाता हे तथा तत्पश्चात् वार्षिक आधार पर किया जाता है ।

* भारित औसत ब्याज दर जिसमें राज्य सरकार देयताओं के संबंधित घटक की राशि भार है ।

प्रपत्र डी-3

(देखें नियम-5)

संचित शोधन निधि (सी.एस.एफ.) (राशि करोड़ में)

पिछले वर्ष के आरंभ में सीएसएफ में बकाया राशि	पिछले वर्ष के दौरान वृद्धि	पिछले वर्ष के दौरान सीएसएफ से निकासी	पिछले वर्ष के अंत में/चालू वर्ष की शुरूआत में सीएसएफ में बकाया शेष राशि	(4)/ एसएलआर उधारों का बकाया स्टॉक(%)	चालू वर्ष के दौरान सीएसएफ में वृद्धि	चालू वर्ष के दौरान सीएसएफ से निकासी	चालू वर्ष की समाप्ति पर/आगामी वर्ष की शुरूआत में सीएसएफ में बकाया शेष	(8)/ एसएलआर उधारों का बकाया स्टॉक(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्ररूप डी - 4
(देखें नियम 5)

सरकार द्वारा दी गयी गारंटी

श्रेणी (ब्रैकेट के अंतर्गत गारंटियों की संख्या)	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान गारंटित अधिकतम राशि (रू. करोड़)	वर्ष के आरंभ में बकाया (रू. करोड़)	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वृद्धि (रू. करोड़)	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कटौती (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रदत्त नयी गारंटी को छोड़कर) (रू. करोड़)
1	2	3	4	5

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान (रू. करोड़)		वर्ष के अंत में बकाया (रू. करोड़)	गारंटी कमीशन अथवा शुल्क (रू. करोड़)		टिप्पणी
चुकायी गयी	न चुकायी गयी		प्राप्य	प्राप्त	
6	7	8	9	10	11

टिप्पणी: रिपोर्टगत वर्ष उस वर्ष से जिसके लिये वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदान मांग रखी गई है, दो वर्ष पीछे का वर्ष होगा ।

प्ररूप डी-5
(देखे नियम-5)

जोखिम-भारित गारण्टी बकाया (राशि करोड़ में)

चूक सम्भाव्यता	जोखिम भार (प्रतिशत)	पिछले वर्ष तथा चालू वर्ष में बकाया राशि	पिछले वर्ष और चालू वर्ष में जोखिम भारित बकाया गारण्टी
प्रत्यक्ष देयताएँ	100		
उच्च जोखिम	75		
मध्यम जोखिम	50		
निम्न जाखिम	25		
अति निम्न जोखिम	5		
कुल बकाया			

टीप- विभिन्न जोखिम श्रेणियों के लिये जोखिम भार पूर्व में विनिर्दिष्ट किया गया है।

प्ररूप डी - 6
(देखें नियम-5)

गारण्टी विमोचन निधि (जी.आर.एफ.) (राशि करोड़ में)

पिछले वर्ष के अंत में याचित बकाया गारण्टी	पिछले वर्ष के अंत में जी.आर.एफ. में बकाया राशि	चालू वर्ष के दौरान याचना संभावित बकाया गारण्टी	चालू वर्ष के दौरान जी. आर.एफ. में जोड़	चालू वर्ष के दौरान जी. आर.एफ. से आहरण	चालू वर्ष के अंत में जी. आर.एफ. में बकाया राशि
1	2	3	4	5	6

टिप्पणियाँ:

(1.) जी.आर.एफ. की शर्तो के अनुसार प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार से अपेक्षित है कि याचित बकाया गारण्टियों के न्यूनतम 1/5 की समान राशि तथा वर्ष के दौरान जारी वर्धित गारण्टियों के परिणाम स्वरूप याचित समराशि का अंशदान करें।

(2.) पिछला वर्ष से तात्पर्य है कि चालू वर्ष से पिछला वर्ष ।

प्ररूप डी-7
(देखें नियम-5)

आस्तियों का विवरण

	सूचनाप्रद वर्ष के प्रारंभ में आस्तियां	सूचनाप्रद वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियां	सूचनाप्रद वर्ष के अंत में आस्तियों का संचयी जोड़
	बही मूल्य (रू. करोड़)	बही मूल्य (रू. करोड़)	बही मूल्य (रू. करोड़)
वित्तीय आस्तियाँ:			
उधार और अग्रिम-			
स्थानीय निकायों को ऋण			
कंपनियों को उधार			
अन्य को उधार			
साम्या विनिधान-			
शेयर			
बोनस शेयर			
भा.स.दिनांकितप्रतिभूतियाँ/खजाना बिलों में निवेश-			
14 दिवस मध्यकालिक खजाना बिलों में निवेश			
अन्य वित्तीय विनिधान (कृपया स्पष्ट करें)			
कुल			
भौतिक आस्तियाँ:			
भूमि			
भवन-कार्यालय रिहायशी			
सड़कें			
पुल			
सिंचाई परियोजनाएँ			
विद्युत परियोजनाएँ			
अन्य पूंजीगत परियोजनाएँ			
मशीनरी और उपस्कर			
कार्यालय उपकरण			
वाहन			
कुल			

टिप्पणियाँ :

1. केवल दो लाख रूपए प्रारंभिक मूल्य से अधिक की आस्तियाँ लेखबद्ध हों ।
2. रिपोर्टगत वर्ष का संदर्भ वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदानों की मांग प्रस्तुत किए जाने वाले वर्ष के पहले के दूसरे वर्ष से है ।
3. भौतिक आस्तियों के संबंध में विवरण सरकार द्वारा रख-रखाव किए जाने वाली आस्ति-पंजी के आधार पर तैयार हो । उसमें इंगित मूल्य बही मूल्य हो, अर्थात मूल्यहास/हानि के लिये निवलकृत अधिग्रहण मूल्य ।
4. भौतिक आस्तियों के संबंध में जानकारी देने लायक स्थिति में जो राज्य है,वे शुरू में मात्र वित्तीय आस्तियों पर जानकारी दे सकते हैं । राज्य सरकार राजपत्र में नियमों की अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से ---- वर्षो के भीतर अपनी भौतिक आस्तियाँ प्रकट कर सकते हैं ।

प्ररूप डी-8
(देखें नियम-5)
रखा गया राजस्व कर परन्तु वसूला नहीं किया गया

(मुख्य कर) (रिपोर्टिंग वर्ष की समाप्ति पर) (राशि करोड़ में)

		विवाद के अधीन रकम (रू. करोड़)						विवाद रहित रकम (रू. करोड़)			
मुख्य मद	वर्णन	1वर्ष से अधिक किंतु दो वर्ष से कम	2वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक किन्तु 10वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	योग	1 वर्ष से अधिक किंतु दोवर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष से कम	10वर्ष से अधिक	यो
	आय और व्यय पर कर										
	कृषि आय										
	व्यवसाय,व्यापार साक्षात्कार व नियोजन कर										
	संपत्ती और पूंजीगत सेवा कर										
	भू राजस्व										
	मुद्रांक और रजिस्ट्री शुल्क										
	शहरी अचल संपत्ति कर										
	वस्तुओं और सेवाओं पर कर										
	बिक्री कर										
	केन्द्रीय बिक्री										

	कर										
	मोटर स्पिरिट और चिकनाई										
	बिक्री कर पर अधिभार										
	राज्य उत्पाद शूल्क										
	वाहनों पर कर										
	अन्य कर										
	योग										

टिप्पणी : रिपोर्टगत वर्ष उस वर्ष से जिसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदान मांग रखी गई है, दो वर्ष पीछे का वर्ष होगा ।

प्ररूप डी-9

(देखें नियम-5)

विविध देयताओं का विवरण : बकाया

(रू. करोड़)

	बकाया राशि $
प्रमुख कार्य और संविदाएँ	
भूमि अधिग्रहण, प्रभारों के संबंध में प्रतिबद्ध देयताएँ	
कार्य और आपूर्ति पर अप्रदत्त बिलों के संबंध में दावे	

$ बकाया रकम चालू वर्ष के पूर्व वर्ष की मार्चान्त स्थिति से संबंधित ।

प्ररूप डी–10

(देखें नियम–5)

लेखा मानकों, नीतियों तथा व्यौहारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन का विवरण :
(विहित राजकोषीय संकेतकों की संगणना को प्रभावित कर रहे या करने वाले)

क . जी.ए.एस.ए.बी. की अनुशंसा अनुसार मानकों में प्रस्तुत किये परिवर्तन

ख . जी.ए.एस.ए.बी. की अनुशंसा के बिना राज्य के नियमों में किये गये परिवर्तन

ग.. वित्त लेखें में महालेखाकार के वित्त लेखे के संबंध में टिप्पणी तथा इसका वित्तीय संकेतकों पर प्रभाव

घ . राजस्व घाटे की संगणना के संबंध में तथा राजकोषीय घाटे की संगणना में योग जो कि भारत सरकार द्वारा ऋण समेकित एवं राहत योजना के लिये किया गया है ।

प्ररूप डी-11

(देखें नियम-5)

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिये गये अर्थोपाय अग्रिम /ओव्हर ड्राफ्ट का विस्तृत विवरण

विवरण	राशि /दिवस
गत वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये अर्थोपाय की अग्रिम की औसत राशि *	
अर्थोपाय अग्रिम में दिनों की संख्या	
उच्चतम अर्थोपाय अग्रिम (राशि दिनांक के साथ)	
भारतीय रिजर्व बैंक से ओव्हर ड्राफ्ट की औसत राशि *	
ओव्हर ड्राफ्ट के दिनों की संख्या	
ओव्हर ड्राफ्ट की स्थिति	
ओव्हर ड्राफ्ट पर किया गया ब्याज भुगतान	

* अर्थोपाय अग्रिम /ओव्हर ड्राफ्ट के औसत राशि की गणना, प्रत्येक दिवस (अवकाश सहित) में अर्थोपाय अग्रिम की अदेयताओं का योग तथा अप्रैल रिपोर्टिंग अवधि हेतु कुल दिवसों की संख्या से विभाजित कर की गई है ।

प्रारूप डी-12
(देखें नियम-5)

कर्मचारियों का विवरण

कर्मचारियों का वर्ग	गत वर्ष (वास्तविक)		वर्तमान वर्ष (पुनरीक्षित)		आगामी वर्ष(बी.ई.)	
	कर्मचारियों की संख्या	वेतन पर होने वाला व्यय	कर्मचारियों की संख्या	वेतन पर होने वाला व्यय	कर्मचारियों की संख्या	वेतन पर होने वाले व्यय की रकम
शासकीय कर्मचारी						
सार्वजनिक उपक्रम						
शहरी नगरीय निकाय						
ग्रामीण नगरीय निकाय						
अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थायें						
बोर्ड तथा अन्य						
विश्वविद्यालय						
कुल						

Raipur, 21 February, 2006

NOTIFICATION

No.86/L-8/4/04/B-4 ; In exercise of the powers conferred by section 7 of the CHHATTISGARH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT ACT, 2005 (No.16 of 2005), the State Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement**: -(1) These rules may be called the Chhattisgarh Fiscal Responsibility and Budget Management Rules, 2006.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. **Definitions:** - In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Chhattisgarh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 (No 16 of 2005);

(b) "Form" means a form appended to these rules:

(c) "GSDP" as defined in the Act refers to the gross domestic product of Chhattisgarh at factor cost at current prices .

(d) "Own Revenues" means aggregate of own tax revenues and own non-tax revenues of the State as reported in its' Finance and Accounts, duly audited by the Accountant General;

(e) "Risk weighted basis" means assessment of value of guarantee issued on the basis of risk weights assigned to factors impacting the possibility of such guarantees being called for honouring.

(f) "Section" means a section of the Act;

(g) "State" means the State of Chhattisgarh;

(h) The words and expressions used but not defined in these rules shall carry the same meaning as have been assigned to them in the Act.

3 **Macro Economic Framework Statement, Medium Term Fiscal Policy Statement, Fiscal Policy Strategy Statement and:** -(1) Macro-Economic Framework Statement, as required to be laid before State Legislature by the State Government under section 4(1) (a), with contents specified in section 4(2) of the Act, shall be in Form F-1.

(2) Medium Term Fiscal Policy Statement, as required to be laid before State Legislature by the State Government under section 4(1) (b), with contents specified in the section 4(3) of the Act including three year rolling targets for fiscal indicators, shall be in Form F-2.

(3) Fiscal Policy Strategy Statement, as required to be laid before State Legislature by the State Government under section 4(1) (c) of the Act with contents specified in section 4(4), shall be in Form F-3.

4. **Disclosures :-** (1) The State Government shall, at the time of presenting the annual financial statement and demands for grants, make disclosures as required under section 5 of the Act in the following statements: -

(a) A statement of fiscal indicators in Form D-I;

(b) A statement of total liabilities of the state government in form D-2;

(c) A consolidated statement of the Sinking Funds established by the state government in form D-3;

(d) A statement of guarantees given by the state government in form D-4;

(e) A statement of outstanding risk weighted guarantees given by the state government in form D-5;

(f) A statement on the Guarantee Redemption Fund in form D-6;

(g) A statement of assets in Form D-7

(h) A statement of accrued but not received revenue receipts in forms D-8;

(i) A statement on accrued liability in respect of works and contracts, including liabilities for land acquisition costs and claims of unpaid bills and supplies in form D-9

(j) A statement detailing significant changes in the accounting standards, policies, practices affecting or likely to affect the computation of fiscal indicators in form D-10;

(k) A statement giving details of the borrowings by way of Ways and Means Advances/Overdraft availed of from the Reserve Bank of India in form D-11; and

(l) A statement giving details of the number of employees in Government, public sector and aided institutions and related salaries in the form D-12.

(2) The provisions of sub-rule (1), other than (e), (h) ,(g), (i) and (j) shall be complied with not later than with the presentation of the annual financial statement and demands for grants for the financial year 2006-2007. Provisions of sub-rule (1) (e), (h) (g) ,(i) and (j) shall be complied with not later than the presentation of annual financial statement for the financial year 2007-08.

5. **Measures to enforce compliance:** -In case the outcome for the quarterly review of trends in receipts and expenditure, made under sub-section (1) of section 6, at the end of second quarter of any financial year beginning with the financial year 2006-2007 shows that –

(i) the total non-debt receipts are less than 40 per cent of Budget Estimates for that year; or

(ii) the fiscal deficit is higher than 45 per cent of the Budget Estimates for that year; or

(iii) the revenue deficit is higher than 45 per cent of the Budget Estimates for that year,

then. -

(a) as required under sub-section (2) of section (6) of the Act, the State Government shall take appropriate corrective measures; and

(b) as required under sub-section (3) (ii) of section (6) of the Act, the Minister of Finance shall make a statement in State Legislature during the session immediately following the end of the second quarter detailing the corrective measures taken, the manner in which any supplementary demands for grants are proposed to be financed and the prospects for the fiscal deficit of that financial year.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENU G. PILLAY, Special Secretary.

Form F - 1

[See rule 3 (1)]

MACRO ECONOMIC FRAMEWORK STATEMENT

1. **Overview of the State Economy:** [This paragraph shall contain a synoptic analysis of trend in the rate of growth of output. Information on key macroeconomic indicators shall be presented in the table at the end of this form.]

2. **GSDP Growth:** [This paragraph shall contain an analysis of trends in overall GSDP growth and its sectoral composition.]

3. **Overview of State Government Finances:** [This paragraph shall detail the developments in State Finances including an analysis of trends in revenue collections and expenditure, and the important fiscal deficit and debt indicators and the measures taken to improve the financial position of the State Government. Trends in State Government finances shall be presented in the format appended. This will, *inter alia*, indicate the developments related to the Consolidated Sinking Fund, Guarantee Redemption Fund, and issuances of risk-weighted guarantees and Ways and Means Advances availed from the RBI. This paragraph may also cover analysis of finances of local bodies and State-level public sector undertakings including the progress made by them for compilation/finalisation of annual statements of accounts and Central transfers.]

4. **Prospects:** [Based on the trends in major sectors presented in the previous sections, an assessment shall be made regarding the growth prospects, along with the underlying assumptions. An assessment of fiscal prospects shall also be made.]

F-1 (Contd.)

Macro Economic Framework Statement

Economic Performance at a Glance

Table 1: Trends in Select Macroeconomic and Fiscal Indicators

		Absolute Value (Rs. Crore)		Percentage Changes	
		April-Reporting period*		**April-Reporting period***	
		Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year
	Real Sector				
1	GSDP at factor cost				
(a)	at current price				
(b)	at 1993-94 price				
2	Agriculture Production				
3	Industrial Production				
4.	Tertiary Sector Production				
	Government Finances				
1	Revenue Receipts (2 +3)				
2	Tax Revenue (2.1+2.2)				
2.1	Own Tax Revenue				
2.2	State's Share in Central Taxes				
3	Non-Tax Revenue (3.1 + 3.2)				
3.1	State's Own Non Tax revenue				
3.2	Central Transfers				
4	Capital Receipts (5+6+7)				
5	Recovery of loans				
6	Other Receipts				
7	Borrowing and other liabilities				
8	Total Receipts (1+ 4)				
9	Non-Plan Expenditure				
10	Revenue Account				
	Of which:				
11	(a) Interest payments				
	(b) Subsidies				
	(c) Wages & Salaries				
	(d) Pension Payments				
12	Capital Account				

13	Plan Expenditure				
14	Revenue Account				
15	Capital Account				
16	Total Expenditure (9+13)				
17	Revenue Expenditure (10+14)				
18	Capital Expenditure (12+15)				
19	Revenue Deficit (17-1)				
20	Fiscal Deficit {16-(1+5+6)}				
21	Primary Deficit (20-11a)				
	Memo:				

**Date will relate to the period up to which information for the current year is available. To facilitate comparison, date of previous year corresponds to the same period of current year. Accordingly, reporting period may vary for different items.*

Form F-2

[See rule 3 (2)]

MEDIUM TERM FISCAL POLICY STATEMENT

A. Fiscal Indicators - Rolling Targets

	Previous Year (Y-2) Actuals	Current Year (Y-1) Budget Estimates (BE)	Current Year (Y-1) Revised Estimates (RE)	Ensuing Year (Y); Budget Estimates (BE)	Targets for next Two Years	
					Y + 1	Y + 2
1. Revenue Deficit as percentage of Total Revenue Receipts (TRR)						
2. Fiscal Deficit as percentage of GSDP						
3. Total outstanding Liabilities as percentage of GSDP						
4. Additional target(s)]: (i) Interest Payments as a percentage of Own Revenue Receipts (ii) Primary Deficit as a percentage of GSDP. (iii) Interest and pensions as a percentage of Total revenue receipts						

Government may, during that period, estimate the pension liabilities by making forecasts on the basis of trend growth rates (i.e. average rate of growth of actual pension payments during the last three years for which data are available).

Form F - 3

[See rule 3 (3)]

FISCAL POLICY STRATEGY STATEMENT

A: Fiscal Policy Overview: [This paragraph will present an overview of the fiscal policy currently in vogue.]

B: Fiscal policy for the ensuing year: [This paragraph shall have, *inter alia*, six sub-paragraphs dealing with –

(1) Tax Policy

In the sub-paragraph on tax policy, major changes proposed to be introduced in direct and indirect taxes in the ensuing financial year will be presented. It shall contain an assessment of exemption in various taxes and how far it relates to principles regarding tax exemptions.

(2) Expenditure Policy

Under expenditure policy, major changes proposed in the allocation for expenditure shall be indicated. It shall also contain an assessment of principles regarding the benefits and target group of beneficiaries.

(3) Borrowings and Other Liabilities, Lending and Investments

In this sub-paragraph on borrowings, the policy relating to internal debt, including the access to WMA/OD facility from the Reserve Bank of India, Government lending, investments and other activities; including principles regarding average maturity structure, bunching of repayments, etc., shall be indicated. The borrowings by Public Sector Undertakings and Special Purpose Vehicle, lending, investments, pricing of user

charges on public goods and utilities and description of other activities, and activities of Public Sector Undertakings which have potential budgetary implications; and the key fiscal measures and targets pertaining to each of these shall be indicated.

(4) Consolidated Sinking Fund

In this sub-paragraph, the policy related to the Consolidated Sinking Fund (CSF) shall be indicated.

(5) Contingent and other Liabilities

Any change in the policy on contingent and other liabilities, in particular guarantees, which have potential budgetary implications, shall be indicated. Any change in the policy related to borrowings by special purpose vehicle (SPV) and other equivalent instruments where liability for repayment is on the State Government shall be indicated. The policy on building up of the Guarantee Redemption Fund (GRF) and commission charges/collected for guarantees issued shall also be indicated.

(6) Levy of User Charges

Any change proposed in the levy of user charges of public services shall be spelt out.

C. Strategic priorities for the ensuing year:

[(1) Resource mobilisation for the ensuing financial year through tax, non-tax and other receipts shall be spelt out.

(2) The broad principles underlying the expenditure management during the ensuing year shall be spelt out.

(3) Priorities relating to management of public debt proposed during the ensuing year shall be indicated.]

D: Rationale for Policy changes:

[(1) The rationale for policy changes consistent with the Medium Term Fiscal Policy Statement, in respect of taxes proposed in the ensuing Budget shall be spelt out.

(2) The rationale for major policy changes in respect of budgeted expenditure including expenditure on subsidies and pensions shall be indicated.

(3) Rationale for changes, if any, proposed in the management of the public debt shall be indicated.

(4) The need for changes, if any, proposed in respect of the charges for public utilities shall be spelt out.]

E. Policy Evaluation:

[The paragraph shall contain an evaluation of the changes proposed in the fiscal policy for the ensuing year with reference to fiscal deficit reduction and objectives set out in the Medium Term Fiscal Policy Statement.]

FORM D-1

[See rule 5]

SELECT FISCAL INDICATORS

	Item	Previous Year (Actuals)	Current Year (RE)
1.	Gross Fiscal Deficit as Percentage of GSDP		
2.	Revenue Deficit as Percentage of Gross Fiscal Deficit		
3.	Revenue Deficit as Percentage of GSDP		
4.	Revenue Deficit as Percentage of TRR		
5.	Total Liabilities -GSDP Ratio (%)		
6.	Total Liabilities - Total Revenue Receipts (%)		
7.	Total Liabilities –State's Own Revenue Receipts (%)		
8.	State's Own Revenue Receipts to Revenue Expenditure (%)		
9.	Capital Outlay as Percentage of Gross Fiscal Deficit		
10.	Interest Payment as Percentage of Revenue Receipts		
11.	Salary Expenditure as Percentage of Revenue Receipts		
12.	Pension Expenditure as Percentage of Revenue Receipts		
13.	Non-developmental Expenditure as Percentage of aggregate disbursements		
14.	Gross Transfers from the Centre as Percentage of Aggregate Disbursements		
15.	Non-tax Revenue as Percentage of TRR		

Form D-2

(See Rule 5)

A. Components of State Government Liabilities (Rs. crore)

Category	Raised during the Fiscal Year		Repayment/Redemption during the Fiscal Year		Outstanding Amount (End-March)	
	Previous Year (Actuals)	Current Year (RE)	Previous year (Actuals)	Current year (RE)	Previous year (Actuals)	Current year (RE)
Market Borrowings (SLR)						
Market Borrowings (non-SLR)						
Loans from Centre						
Special Securities issued to the NSSF						
Borrowings from Financial Institutions/ Banks						
WMA/ OD from RBI						
Other liabilities in Consolidated Fund						
A. Consolidated Fund Liabilities						
Small Savings, Provident Funds, etc						
Reserve Funds/ Deposits						

Other Liabilities in Public Account						
B. Total Public Account Liabilities						
C. Borrowings of Public Sector and SPVs for which state government has assumed liability to pay interest or principal from Budget						
Total Liabilities						

B. Weighted Average Interest Rates on State Government Liabilities

(Per cent) Category	Raised during the Fiscal Year^		Outstanding Amount (End-March)	
	Previous Year (Actuals)	Current Year (RE)	Previous year (Actuals)	Current year (RE)
Market Borrowings (SLR)				
Market Borrowings (non-SLR)				
Loans from Centre				
Special Securities issued to the NSSF				
Borrowings from Financial Institutions/ Banks				
WMA/ OD from RBI				
Other liabilities in Consolidated Fund				
A. Consolidated Fund Liabilities				
Small Savings, Provident Funds, etc				
Reserve Funds/ Deposits				
Other Liabilities in Public Account				
B. Total				

Public Account Liabilities				
C. Borrowings of Public Sector and SPVs for which state government has assumed liability to pay interest or principal from Budget				
Total Liabilities				

^ Weighted average interest rate where the respective weight is the amount borrowed. This is calculated on contractual basis and then annualised.

** Weighted average interest rate where the weights are the amount of the respective components of State Government liabilities.*

FORM D-3

[See rule 5]

Consolidated Sinking Fund (CSF)

(Amount in Rs. Crore)

Outstanding balance in CSF at the beginning of the previous year	Additions to CSF during the previous year	Withdrawals from CSF during the previous year	Outstanding balance in CSF at the end of the previous year/ beginning of current year	(4)/ Outstanding Stock of SLR Borrowings (%)	Additions to CSF during the current year	Withdrawals from CSF during the current year	Outstanding at the end of current year/ beginning of ensuing year	(8)/ Stock of SLR Borrowings (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

FORM D - 4

[See rule 5]

Guarantees given by the Government

Category (No. of Guarantees within bracket)	Maximum Amount Guaranteed during the year (Rs. crore)	Outstanding at the beginning of the year (Rs. crore)	Additions during the year (Rs. crore)	Reductions during the year (other than invoked during the year) (Rs. crore)
1	2	3	4	5

Invoked during the year (Rs. crore)		Outstanding at the end of the year (Rs. crore)	Guarantee Commission or Fee (Rs. crore)		Remarks
Discharged	Not discharged		Receivable	Received	
6	7	8	9	10	11

Note: Reporting year refers to the second year preceding the year for which the Budget is presented.

FORM D-5

[See rule 5]

Outstanding Risk –weighted Guarantees

(Amount in Rs. Crore)

Default Probability	**Risk weights (per cent)**	**Amount outstanding as in the Previous Year and the Current Year**	**Risk weighted outstanding guarantee in the previous year and the current year**
Direct Liabilities	100		
High Risk	75		
Medium Risk	50		
Low Risk	25		
Very Low Risk	5		
Total Outstanding			

Note: The risk-weights have been pre-specified for various risk categories.

FORM D-6

[See rule 5]

Guarantee Redemption Fund (GRF)

(Amount in Rs. Crore)

Outstanding invoked guarantees at the end of the previous year	Outstanding Amount in GRF at the end of the previous year	Amount of Guarantees Likely to be Invoked during the current year	Addition to GRF during the current year	Withdrawal from the GRF during the current year	Outstanding Amount in GRF at the end of the current year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Notes:

(i) As per the terms of the GRF, during each year, the Government is required to contribute an amount equivalent at least to 1/5th of the outstanding invoked guarantees plus an amount likely to be invoked as a result of the incremental guarantees issued during the year.

(ii) Previous year refers to the year preceding the current year.

FORM D - 7

[See rule 5]

STATEMENT OF ASSETS

(Rs in crore)

	Assets at the beginning of the reporting year	Assets acquired during the reporting year	Cumulative total of assets at the end of the reporting year
	Book Value	**Book Value**	**Book Value**
Financial assets:			
Loans and advances			
Loans to Local Bodies			
Loans to companies			
Loans to others			
Equity Investment			
Shares			
Bonus shares			
Investments in GoI dated securities/Treasury Bills			
Investments in 14-day Intermediate Treasury Bills			
Other financial investments (please specify)			
Total			
Physical assets:			
Land			
Building			
Office/Residential			
Roads			
Bridges			
Irrigation Projects			
Power Projects			
Other capital projects			
Machinery & Equipment			
Office Equipment			

Vehicles			
Total			

Notes:

1. Assets above the threshold value of Rupees two lakh only to be recorded.

2. Reporting year refers to the second year preceding the year for which the annual financial statement and demands for grants are presented.

3. The Statement in respect of physical assets is to be prepared based on asset register maintained by the Government. The value to be indicated would be book value, i.e. acquisition cost netted for depreciation/impairment.

4. States that are not in a position to provide information in respect of physical assets may, to begin with, provide information only in respect of financial assets. They may disclose their physical assets within --- years from the date of publication of the Notification of the Rules in the State Gazette.

Form D - 8

[See rule 5]

TAX REVENUES RAISED BUT NOT REALISED

(Principal taxes)

(As at the end of the reporting year)

		Amount under disputes (Rs. crore)					Amount not under disputes (Rs. crore)					Grand Total
Major Head	**Description**	Over 1 year but less than two years	Over 2 years but less than 5 years	Over 5 years but less than 10 years	Over 10 years	Total	Over 1 year but less than two years	Over 2 years but less than 5 years	Over 5 years but less than 10 years	Over 10 years	Total	
	Taxes on Income & Expenditure											
	Agricultural Income Tax											
	Taxes on Professions, Trades, callings and employment											
	Taxes on Property and capital Services											
	Land Revenue											
	Stamps and Registration fees											
	Urban immovable property tax											
	Taxes on Commodities and Services											
	Sales Tax											

	Central Sales Tax											
	Sales Tax on Motor Spirit and Lubricants											
	Surcharge on Sales Tax											
	State Excise											
	Taxes on Vehicles											
	Other Taxes											
	TOTAL											

Note: Reporting year refers to the second year preceding the year for which the annual financial statement and demands for grants are presented.

Form D - 9

[See rule 5]

Statement of Miscellaneous Liabilities: Outstandings

(Rs. crore)

	Outstanding Amount $
Major Works and Contracts	
Committed liabilities in respect of land acquisition charges	
Claims in respect of unpaid bills on works and supplies	

$ The outstanding amount pertains to the end-March position for the year before the current year.

Form D - 10

[See rule 5]

Statement of Significant Changes in the accounting standards, policies and practices

(Affecting or likely to affect the computation of fiscal indicators)

A. Changes introduced on standards introduced on recommendations of GASAB

B. Changes introduced in state's rules without any recommendations of GASAB

C. Changes commented upon AG in the Finance and Accounts and its impact on fiscal indicators

D. Disallowances made in computation of revenue deficit and additions in computation of fiscal deficit made by the Government of India for Debt Consolidation and Relief Facility

Form D – 11

[See rule 5]

Details of borrowings by way of Ways and Means Advances/Overdraft from RBI

Particulars	Amount/days
Average amount of WMA from RBI during previous year ^	
No. of days in WMA	
Highest WMA (amount with dates)	
Average amount of OD from RBI^	
Number of days of OD	
Number of occasions of OD	
Interest paid on OD	

^ The average amount of WMA/OD is calculated by summing up the outstanding amount of WMA as on each day (including holidays) and dividing by the total number of days during April-Reporting period.

Form D – 12

[See rule 5]

Details of Employees

Class of Employees	Previous Year (actuals)		Current Year (RE)		Ensuing Year (BE)	
	Number of Employees	Amount of Salary Expenditure	Number of Employees	Amount of Salary Expenditure	Number of Employees	Amount of Salary Expenditure
Government employees						
State Public Enterprises and Special Purpose Vehicles						
Urban Local Bodies						
Rural Local Bodies						
Aided Educational Institutions						
Boards and other instrumentalities of Government						
Universities						
Total						

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2006.